## प्रारूप 48 राश्ट्रीय परमिट देने के लिए आवेदन [नियम 86 देखिए ]

सेवा में,	प्रादे	ाक / राज्य परिवहन अधिकारी
विधिमान्य		, अधोहस्ताक्षरकर्ता, भारत के राज्य क्षेत्र ( यहाँ वांछित राज्यों के नाम लिखे) राज्य में सर्वत्र य परमिट के लिए आवेदन करता हूँ ⁄ करते है।
	1.	आवेदक (आवेदकों) का पूरा नाम
	2.	आवेदक की हैसियत, क्या वह व्यश्टि, कम्पनी या भागीदारी, फर्म, सहकारी, सोसाइटी आदि है।
	3.	पिता या पित का नाम (व्यश्टि की द ाा में ) और कंपनी या फर्म की द ाा में, यथास्थित प्रबंध भागीदार या प्रबंध निदे ाक की रजिस्ट्रीकरण संख्याक
	4.	पूरा पता (व्यश्टि की द ाा में) रा ान कार्ड, विद्युत बिल आदि की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा या राज्य परिवहन प्राधिकारी / प्रादेि कि परिवहन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजो सबूत द्वारा और कंपनी या फर्म की द ाा में यथास्थिति, संगत ज्ञापन या भागीदार विलेख की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा सम्मिलित किया जाना चाहिए।
	5.	(1) क्या आवेदन स्वंय यान चालन चाहता है।
		(2) यादि हां तो क्या आवेदक के पास भारी यात्री मोटर यान चलाने अनुज्ञप्ति है?
		(3) चालन अनुज्ञप्ति का संख्यांक, तारीख ओर विधिमान्यता की अवधि
		(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम और पता
	6.	प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र
	7.	किसी वि ोश यान की बावत अन्य परमिट धारित किया हुआ है तो उसका व्यौरा
	8.	आवेदक के द्वारा पहले से ही धारित राश्ट्रीय परमिट संख्या का व्यौरा
	9.	यान का टाइप, क्या वह दो धुरी वाला ट्रक या संलग्र यान या बहुधूरी वाला यान या ट्रक ट्रेलर संयोजन है।
	10.	मोटर यान का सैक
	11.	आवेदक (आवेदकों) द्वारा धारित यान /परमिट की बावत गत तीन वर्शों के दौरान दोशसिद्ध/निलम्बन/रद्दकरण, यदि कोइ हो, की वििाष्टियाँ
	12.	मैं / हम इसके साथ यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र भेजता हूं / भेजते है या मैं / हम यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र परिमट जारी किए जाने से पहले प्रस्तुत कर दूगाँ / देगें।
	13.	मैं / हम यह घोशित करते है कि उपरोक्त कथन सत्य हैं और यह कि मैं / हम इस राज्य का / के निवासी हूँ / हैं और इस राज्य में के स्थान पर मेरा / हमारा कारबार का मुख्य स्थान है।
	14.	मैंनें / हमनें रूपये की फीस का संदाय कर दिया है।
तारीख		आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप